



ISSN Print: 2394-7500
 ISSN Online: 2394-5869
 Impact Factor: 5.2
 IJAR 2018; 4(10): 124-127
 www.allresearchjournal.com
 Received: 05-08-2018
 Accepted: 10-09-2018

डा. श्रीमती संगीता सिंघल
 एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र
 विभाग, सनातन धर्म महाविद्यालय,
 मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान

डा. संगीता सिंघल

DOI: <https://doi.org/10.22271/allresearch.2018.v4.i10b.9900>

प्रस्तावना

भारत गांवों का देश है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहां 640867 गांव हैं इन गांवों में देश की 68.8 प्रतिशत आबादी निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही आजीविका का मुख्य साधन है। गांधी जी के अनुसार, भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी, औद्योगिक केन्द्रों के विकास से नहीं, बल्कि मुख्य रूप से गांवों के विकास से ही है। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। विचारणीय है, आज भी हम अपने चारों ओर बड़े उद्योगों तथा सूचना प्रौद्योगिक केन्द्रों से लैस शहरों को प्रगति करते हुए देखते हैं, फिर भी हम ग्रामीण विकास की ही बात करते हैं, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात ही आर्थिक नियोजन काल में देश, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां प्राप्त कर चुका है। जैसे—आर्थिक विकास की दर बढ़ी, बचत व विनियोग बढ़े, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु कृषि ढांचे में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए, लेकिन आर्थिक प्रगति की यह तस्वीर अभी भी ग्रामीण जनसंख्या में व्याप्त गरीबी व बेरोजगारी को दूर करने में सफल हुई। कृषि, भारतीय अर्थतंत्र का आधार है। आज भी भारत की दो तिहाई जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। यदि हम भारत की वास्तविक उन्नति चाहते हैं तो हमें विकसित ग्रामीण भारत का निर्माण करना होगा। इसका अर्थ यह है, कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जो कृषि एवं गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न हैं, उन्हें उत्पादकता बढ़ाने में विशेष सहायता देनी होगी। ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन और आर्थिक कल्याण की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रक्रिया है, अर्थात् ग्रामीण विकास से हमारा तात्पर्य मूल रूप से तीन प्रमुख मुद्दों से होता है, जिनमें पहला है वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना, दूसरा वहां व्याप्त गरीबी को दूर करके जीवन की गुणवत्ता विकसित करने हेतु वहां रोजगार के समुचित अवसर पैदा करना, तीसरा देश के गवर्नेंस में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उनमें चेतना जाग्रत करना। इस दिशा में पहला प्रयास वर्ष 1952 में राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से शुरू किया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित बड़े विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

- रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारन्टी एक्ट (मनरेगा)
- स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहूड्स मिशन (एन.आर.एल.एम.)
- अच्छी सड़कें बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)
- गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को आवास देने के लिए इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)
- आदर्श ग्रामों के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.)
- ग्राम विकास केन्द्रों के लिए श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।
- प्रधानमंत्री आवास योजना।
- भारत नेट योजना (चरण- I)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से निजात पाने के लिए महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार योजना का शुरुआत 2 फरवरी 2006 को किया गया। 02 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इसका नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम कर दिया गया। मनरेगा का सबसे बड़ा उद्देश्य विकास और रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करना है। ग्रामीण भारत में निवास करने वाले गरीब व कमजोर आय वर्ग के परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है

Correspondence

डा. श्रीमती संगीता सिंघल
 एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र
 विभाग, सनातन धर्म महाविद्यालय,
 मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत

ताकि वे अपनी आजीविका चला सकें। इस योजना में गांवों में दीर्घकालीन आधारभूत अवसंरचना के विकास, जल सुरक्षा को बढ़ावा देना, कृषि भूमि की उत्पादकता को बढ़ावा देना, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना के द्वारा भारत में व्याप्त लिंगभेद को कम करके रोजगार में महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है।

वर्ष 2009-10 में 4.9 करोड़, 2010-11 में 5.49 करोड़ तथा 2011-12 में 4.53 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान 5.109 करोड़ परिवारों तथा 7.64 करोड़ व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराया गया। कुल मिलाकर 234.45 करोड़ श्रम दिवस रोजगार सृजन सन्दर्भित वर्ष में इस योजना के तहत किया गया। 2016-17 के बजट में मनरेगा के लिए ₹ 38,500 करोड़, 2017-18 में ₹ 48,000 करोड़ खर्च किये गये।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तथा बेरोजगारी को खत्म करने के लिए वर्ष 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में छोटे-छोटे उद्यम स्थापित किये गये। इस योजना में व्यक्तिगत तौर पर रोजगार की व्यवस्था करने के साथ साथ सामूहिक रूप से उद्यम स्थापित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों का भी गठन किया गया है।

भारत निर्माण

वर्ष 2005-06 में गरीबी हटाने के लिए भारत निर्माण योजना शुरू की गई है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी हटाने के लिए ग्रामीण अद्योःसंरचना का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना में सभी गांवों को सड़क से जोड़ना, टेलीफोन की उपलब्धता करवाना, बिजली, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, सिंचाई सुविधाएँ बढ़ाना व ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय घरों का निर्माण करवाना शामिल है।

पी0यू0आर0ए0 मॉडल

भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए यू0पी0आर0ए0 मॉडल को अपनाने पर जोर दिया गया है इसका अर्थ है-ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएँ प्रदान करना।

जल-आपूर्ति और सफाई-सुविधाओं में सुधार

सरकार ने पेयजल का प्रावधान तथा सफाई सुविधाओं के लिए विभिन्न परियोजनाओं को समय समय पर लागू किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति विभाग को निर्देश दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की अधिक उपलब्धता कारायी जाये, इसके लिए निम्न प्रोग्राम शुरू किये गये हैं।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने गांवों के समग्र विकास के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.) की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की। इस योजना के तहत हर सांसद वर्ष 2019 तक तीन गांवों में बुनियादी एवं संस्थागत ढांचा विकसित करने की जिम्मेदारी उठाएंगे। जिसमें से एक आदर्श गांवों को वर्ष 2016 तक विकसित किया जाएगा, इसके बाद पांच ऐसे आदर्श गांवों को (हर साल एक गांव) का चयन किया जाएगा और उनके विकास के काम को अगले 5 वर्षों में पूरा किया जायेगा। इस योजना के तहत चयनित गांवों में कृषि, स्वास्थ्य, साफ सफाई, आजीविका, पर्यावरण इत्यादि क्षेत्रों का एकीकृत विकास किया जायेगा। एस0ए0जी0वाई के तहत न केवल ढांचागत विकास पर ध्यान दिया जायेगा, बल्कि गांवों में रहने वाले लोगों को कुछ

खास मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। ताकि वे अन्य लोगों के लिए आदर्श साबित हो। सांसद आदर्श ग्राम योजना का एक उद्देश्य सभी के लिए शिक्षा सुविधाएँ, वयस्क साक्षरता, ई-साक्षरता सुलभ करना भी है। शिक्षा के अलावा इन गांवों में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएँ भी होंगी, इससे शत प्रतिशत टीकाकरण, शतप्रतिशत संस्थागत डिलिवरी, आई0एम0आर0 तथा ए0एम0आर0 में कमी, बच्चों में कुपोषण की समस्या से निजात इत्यादि मिलना सम्भव हो पाएगा।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

25 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री जी ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारम्भ किया, इस योजना के अन्तर्गत सभी गांवों का विद्युतिकरण, उपभोक्ताओं और किसानों को पर्याप्त बिजली, उपपारिक्षण और वितरण, नेटवर्क में सुधार करना है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

यह ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी अवसंरचना को वितरित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष तौर पर आर्थिक, तकनीकी और सुविधाओं एवं सेवाओं के क्षेत्र में ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम करना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक और भौतिक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास क्षेत्र में संक्रमणकालीन/ट्रांजिशनल विकास के मुकाबले परिवर्तनकारी विकास सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रासांगिक है। यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रसाधन (पुरा) का स्थान लेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

20 नवम्बर 2016 को प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारम्भ किया, जिसके अन्तर्गत सभी ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2022 तक पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित व पक्के घर उपलब्ध कराने की बात कही गयी। भवनहीन तथा एक या दो कमरे की कच्ची छत, कच्ची दीवार के मकान में रहने वाले गरीब परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया।

भारतनेट योजना (चरण-2)

केन्द्र सरकार द्वारा देश की सभी ग्राम पंचायतों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा को मार्च 2019 तक उपलब्ध कराने के लिए 13 नवम्बर 2019 तक उपलब्ध कराने के लिए 13 नवम्बर 2017 को भारत नेट योजना के तहत 1.5 लाख पंचायतों को 10 लाख किमी0 लम्बी ऑप्टिकल्स फाइबर केबिल के जरिए जोड़ा जायेगा। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ई-गवर्नेंस, ई-हेल्थ, ई-एजुकेशन, ई-बैंकिंग और इंटरनेट की अन्य सुविधाओं समेत रोजगार सृजन को बढ़ाना देना है।

अन्य कार्यक्रम

गांवों के विकास के लिए कुटी उद्योगों/ग्रामीण उद्योगों को बहुत प्रोत्साहन दिए गए हैं। गांवों में स्कूल प्रौढ शिक्षा केन्द्र खोले गए हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरुस्थल क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ग्रामीण गोदामों का निर्माण। कृषि मजदूरों के लिए कल्याण योजनाएँ। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन अद्योः संरचना का विकास।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम की असफलता के कारण

1. स्पष्ट रूप से परिभाषित प्राथमिकताओं व उद्देश्यों की कमी: ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में प्राथमिकताओं व उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया।

इससे इन कार्यक्रमों को चलाने वाले अधिकारियों के विभाग में उलझन बनी रही।

2. **जन सामान्य की भागीदारी प्राप्त करने में विफलता:** ग्रामीण विकास कार्यक्रम मुख्य तौर पर सरकार द्वारा चलाए गई कार्यक्रम ही बनकर रह गए हैं, इनमें जन-सामान्य की भागीदारी नहीं हो सकी।
3. **प्रशिक्षण व मार्गदर्शन की कमी:** इन कार्यक्रमों को विभिन्न स्तरों पर चलाने वाले विभिन्न अधिकारियों, जैसे-जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम सभा के अधिकारियों को इस बारे में उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया।
4. **पर्याप्त पर्यवेक्षण का अभाव:** ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए उचित प्रशासनिक संयंत्र की स्थापना नहीं की गयी। इन कार्यक्रमों को शुरू तो बड़े जोश के साथ किया जाता है परन्तु उद्घाटन समारोह के बाद कई बार अधिकारी इन्हें ठीक से नहीं चलाते।
5. **उत्तरदायित्व की कमी:** ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी होती है अतः यदि कोई कार्यक्रम विफल होता है तो किसी एक व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
6. **वित्तीय संसाधनों की कमी:** वित्तीय कोषों की कमी के कारण अधिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम नहीं चलाए जा सके, जो कार्यक्रम चलाए भी गए हैं तो उन्हें वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
7. **जागरूकता का अभाव तथा अनपढ़ता:** कई बार ग्राम पंचायतों के सदस्य कम पढ़े लिखे, अनपढ़ या कम ज्ञानी होते हैं। यहां तक कि अधिकतर, ग्रामीण व्यक्ति भी अधिक पढ़े-लिखे नहीं होते। अतः वे इन कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर सहयोग नहीं दे पाते। अतः ये कार्यक्रम विफल हो जाते हैं।

ग्राम विकास कार्यक्रमों का प्रभाव

देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार और ग्रामीण विकास की मजबूती के आधार पर उभर रहे हैं। ग्रामीण विकास के लिए घोषित की गयी योजनाओं के तहत बड़े पैमाने पर किए गए व्यय से ग्रामीण भारत में तेजी से धन का प्रवाह बढ़ा है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के कार्यक्रमों से किसानों की आमदनी में वृद्धि हुई है। ग्रामीण भारत में लोगों को रोजगार देने में मनरेगा की प्रभावी भूमिका बड़ी है। मनरेगा में ग्रामीण भारत के लोगों के लिए आय का साधन होने के साथ साथ गांवों में संरचनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इससे ग्रामीण भारत में पेयजल के साधन, जल संरक्षण, बंजर भूमि को कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित करके कृषि विकास में भी सहायता मिली है। इस योजना ने गांधी जी के श्रम की गरिमा की धारणा को साकार किया है साथ ही यह भी साबित हुआ है कि नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अफ्लाई इकोनॉमिक रिसर्च का मानना है कि मनरेगा शुरू होने से पहले 42 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थे, लेकिन इस योजना की शुरुआत के बाद 30 प्रतिशत भागीदारी ग्रामीण गरीब जनसंख्या की रही। जबकि गैर गरीब जनसंख्या 21 प्रतिशत है। अतः स्पष्ट रूप से मनरेगा ने सबसे अधिक ग्रामीण गरीबों को आकर्षित किया है, साथ ही कमजोर वर्ग मजदूर, आदिवासी, दलित एवं छोटे सीमान्त कृषकों के बीच गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। देश में जी.डी.पी. (सकल घरेलू उत्पाद) में वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 के दौरान ग्रामीण इलाकों में 32.75 प्रतिशत आबादी और शहरी इलाकों में 8.81 फीसदी आबादी बहुआयामी गरीबी में पाई गई है। अतः ग्रामीण भारत में गरीबी को कम करने के लिए अधिक कारगर प्रयासों की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, दूरसंचार, बिजली, आवास आदि मूलभूत सुविधाओं की स्थिति में सुधार आया है और साथ ही पेयजल आपूर्ति, सफाई सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई। सामाजिक दृष्टि से भी गांवों की स्थिति में काफी

सुधार हुआ है। साक्षरता बढ़ने से ग्रामीण जागरूक हुए हैं उनके रुढ़िवादिता कम हुई है गांवों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग में चेतना का संचार हुआ है और वे भी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे हैं। ग्रामीण जनता को अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों के विषय में नयी जानकारी मिली है। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न ग्रामीण विकास हेतु योजनाओं से ग्रामीण महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। आर्थिक समृद्धि के साथ ही उनकी सामाजिक भागीदारी भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू होने के बाद गांवों में सड़कों का जाल बिछाया गया है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के घंटों में सुधार तथा ग्रामीण परिवारों तक बिजली की पहुंच संभव हो सकी। इसी प्रकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के तहत स्मार्ट गांवों के समूह नियोजित तरीके से विकसित करने में सहायता मिल रही है। यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) का स्थान लेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के अन्तर्गत ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2022 तक पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित व पक्के घर उपलब्ध होने से आवास की समस्याओं का भी समाधान मिलेगा। इसी प्रकार भारत नेट योजना चरण-2 के द्वारा भी ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केवल कनेक्टिविटी से लाभ पहुंच रहा है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इंटरनेट इत्यादि की सुविधाओं को लाभ मिल रहा है।

सुझाव

यद्यपि गांवों के विकास के लिए कई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। लेकिन क्रियान्वयन स्तर पर कई कमियों के चलते वांछित वर्ग तक अपेक्षित लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार, करोड़ों रुपये इन योजनाओं पर खर्च कर रही है लेकिन इसके बावजूद हम लक्ष्य से कोसों दूर हैं। यदि भारत की आर्थिक प्रगति को सच्चे अर्थों में ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बद्ध करना है तो हमें ग्रामीण विकास हेतु निम्न संतुलित व प्रगतिशील उपाय अपनाने होंगे।

1. ग्रामीण क्षेत्र में अधोसंरचना को मजबूत करना होगा।
2. आयोजना व्यय में ग्रामीण विकास हेतु ज्यादा राशि आवंटित करनी होगी। ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए कम से कम 50 प्रतिशत आयोजन व्यय हिस्सा ग्रामीण विकास पर व्यय करना होगा।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का स्तर बढ़ाना होगा, क्योंकि अशिक्षित ग्रामीण, योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं।
4. ग्रामीण विकास हेतु पर्यावरण के प्रति ग्रामीणों को जागरूक बनाना होगा।
5. सरकार को ग्रामीण विकास हेतु बनाई गई योजनाओं का लाभ उन ग्रामीणों को पहुंचाना होगा, जो इसके वास्तविक हकदार हैं, इसके लिए शासकीय मशीनरी को चुस्त करना होगा।
6. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार प्रदान करना होगा।
7. लोगों में जागरूकता फैलानी होगी, ताकि वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

निष्कर्ष

भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति काफी चिंताजनक है ऐसे में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का महत्व काफी बढ़ जाता है इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के स्तर पर अभी कई खामियां मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास महज योजनाएं बनाने से नहीं होगा, बल्कि उनका क्रियान्वयन सही तरीके से किया जाना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता का स्तर बढ़ाकर इन योजनाओं का सही क्रियान्वयन किया जा सकता है और ग्रामीण गरीबी व बेरोजगारी को दूर करके ही हम गांधीजी का सपना साकार कर पाएंगे।

संदर्भ

1. दत्त एवं सुन्दरम "भारतीय अर्थव्यवस्था"।
2. वी.के. पुरी, एस.के. मिश्रा "भारतीय अर्थव्यवस्था"।
3. टी.आर. जैन, मुकेश तेहरान, राजू तेहरान "भारतीय आर्थिक समस्याएँ"।
4. डॉ. जे.सी. पन्त, डॉ. जे.पी. मिश्रा "भारतीय आर्थिक समस्याएँ"।
5. वी.सी. सिन्हा "अर्थशास्त्र"।
6. प्रतियोगिता दर्पण, भारतीय अर्थव्यवस्था, 2017
7. <https://www.drishtiiias.com>
8. <https://www.mygov.in>
9. <https://www.india.gov>
10. <https://www.samajkaryshiksha>